

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

मुत0प्रार्थना संख्या 26/2016

सन् 2016

जीसीएमएस संख्या 2016/00355

बउनवानी:-सवाईमाधोपुर सहकारी भूमि विकास बैंक लि. सवाईमाधोपुर जरिये सचिव भूमि विकास बैंक लि0 सवाईमाधोपुर

बनाम

1. भैरु पुत्र जयराम मीना (मृतक)
- 1/1. आशाराम पुत्र भैरु मीना निवासी खिरनी तहसील मलारना डूंगर
- 1/2. कालू पुत्र भैरु मीना निवासी खिरनी तहसील मलारना डूंगर
- 1/3. जगदीश पुत्र भैरु मीना निवासी खिरनी तहसील मलारना डूंगर
- 1/4. मीठालाल पुत्र भैरु मीना निवासी खिरनी तहसील मलारना डूंगर
- 1/5. केलर बेवा भैरु मीना निवासी खिरनी तहसील मलारना डूंगर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राज0 सह सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 व 99 के तहत ऋणी सदस्य की बैंक के रहन सम्पत्ति को बैंक के पक्ष में अन्तरित करने बाबत)

उपस्थित :-श्री कमल सिंह गुर्जर

वकील भूमि विकास बैंक(प्रार्थी)

:- निर्णय :- दिनांक 20.8.2025

प्रार्थना पत्र सचिव भूमि विकास बैंक लि0 सवाईमाधोपुर जरिये भूमि विकास बैंक द्वारा पेश कर निवेदन किया है। कि प्रार्थी बैंक से लिया गया ऋण अप्रार्थी द्वारा बकाया अवधिपार ऋण चुकता नहीं किया है तथा अप्रार्थी की सम्पत्ति/कृषि भूमि जो कि बैंक के रहन है, को बैंक द्वारा निलामी कार्यवाही में बेची नहीं जा सकी है इसलिए अप्रार्थी की सम्पत्ति/कृषि भूमि को बैंक के नाम अन्तरण करने हेतु राज0 सह. सोसायटी अधिनियम,2001 की धारा 103 व 99 के तहत आदेश जारी किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को बैंक की बकाया राशि जमा कराने हेतु नोटिस जारी कर नोटिस प्राप्त के 30 दिवस में जमा कराने व नियत दिनांक को न्यायालय में उपस्थित होने बाबत सूचित किया गया किन्तु अप्रार्थीगण बावजूद तामील नोटिस नियत दिनांक को न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए ओर ना ही बैंक की बकाया राशि जमा करवायी गयी। तत्पश्चात बहस वकील भूमि विकास बैंक लि0 सवाईमाधोपुर सुनी गयी।

वकील भूमि विकास बैंक लि0 सवाईमाधोपुर द्वारा कथन किया कि अप्रार्थी की बैंक में बन्धकित सम्पत्ति (ग्राम खिरनी ए पटवारी हल्का खिरनी ए तहसील मलारना डूंगर की आराजी ख0न0 163,2028,1259,2959 कुल किता 4 जमाबन्दी में हिस्सानुसार को विक्रय करने की कार्यवाही संबंधित बैंक द्वारा जरिये निलामी की गयी किन्तु निलामी कार्यवाही के दौरान क्रेताओ के अभाव में उक्त सम्पत्ति बेची नहीं जा सकी है। रहन पत्र के अनुसार 326100/-रु अप्रार्थी द्वारा बैंक से ऋण प्राप्त किया जिसकी अदायगी उसके द्वारा समय पर नहीं की गयी है ओर ऋणी के उपर 195107/-रु बैंक को लेना वाजिब निकलती है। अप्रार्थीगण के विरुद्ध राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम,2001 की धारा 100 के अधीन जारी प्रमाण पत्र के अनुसार असल 99474/-रु ब्याज 92233+3400/-रु कुल राशि 195107/-रु एवं तत्पश्चात दिनांक 30.6.2015 तक अप्रार्थी के खाते में कुल बकाया राशि 195107/-व अवधिपार बकाया असल 326100/-रु ब्याज 297676/-रु दण्डनीय ब्याज 38298/-रु एवं वसूली व्यय 5853/-रु सहित कुल 662074/-रु वाजिब लेना बाकी निकल रही है जिसको प्राप्त करने का प्रार्थी बैंक को अधिकार है। उक्त राशि वसूलने हेतु जारी निष्पादन आदेश की क्रियान्विति करने के लिए विक्रय अधिकारी की सिफारिश एवं उप रजिस्ट्रार सहकारी सचिव

.....(1).....


(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

सवाईमाधोपुर द्वारा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 के अन्तर्गत रहन की गयी भूमि या उसका भाग सोसायटी (बैंक) को अन्तरित करने हेतु बैंक के प्रशासक (उप जिला कलेक्टर) द्वारा प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 13.4.2016 के निर्णय का उप रजिस्टार सहकारी समितियों सवाईमाधोपुर द्वारा अनुमोदन कर अप्रार्थी की बैंक के पक्ष में रहन भूमि जो नीलामी में बेची नहीं जा सकी है उस भूमि का बैंक के पक्ष में अन्तरण कराने की अभिशंषा की है। अतः अप्रार्थी की उक्त भूमि जो भूमि विकास बैंक शाखा मलारना डूंगर के बन्धक है को उक्त बैंक के नाम अन्तरित करने बाबत वकील भूमि विकास बैंक लि० सवाईमाधोपुर ने निवेदन किया है।

वकील भूमि विकास बैंक लि० सवाईमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अप्रार्थी द्वारा भूमि विकास बैंक शाखा मलारना डूंगर की बकाया ऋण राशि रु 662074/- रु जमा नहीं करवायी गयी है तथा अप्रार्थी की बैंक में बन्धकित सम्पति (ग्राम खिरनी ए पटवारी खिरनी ए तहसील मलारना डूंगर की आराजी ख० न० 163,2028, 1259, 2959 कुल किता 4 जमाबन्दी में हिस्सानुसार को जरिये निलामी 3 बार विक्रय करने हेतु कार्यवाही की गयी किन्तु क्रेताओं के अभाव में उक्त सम्पति बेची नहीं जा सकी है। इस न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को बैंक की उक्त राशि 30 दिवस में जमा कराने बाबत नोटिस जारी किया गया नोटिस की तामील विधिवत रूप से व्यक्तिगत करवायी जाने पर भी अप्रार्थी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ ओर ना ही बकाया ऋण राशि बैंक में जमा नहीं करवाने बाबत कोई युक्तिसंगत कारण न्यायालय में पेश किया है। अतः सचिव भूमि विकास बैंक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर सचिव भूमि विकास बैंक लि० सवाईमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण की उपरोक्तानुसार वर्णित बैंक के रहन दर्ज कृषि भूमि को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 के परिप्रेक्ष्य में संबंधित बैंक के पक्ष में अन्तरित की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.8.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर.